थाना चरखारी की पुलिस टीम ने 02 नफर अभियुक्तों को मय अवैध तमंचा/रायफल व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों एवं प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री सत्यम एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार द्वारा टीमों का गठन किया गया जिसमें उ.नि.सुभाषचन्द्र तिवारी द्वारा 01 नफर अभियुक्त उदयभान पुत्र स्व0 बाबू पाल उम्र 35 वर्ष के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में उ.नि.राजनारायण द्वारा 01 नफर अभियुक्त कमलेश कुमार अहिरवार पुत्र रामस्वरुप उम्र 35 वर्ष को एक अदद अवैध देशी एसबीबीएल गन 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु.अ.सं. 67/2024 व 68/2024 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ.नि.सुभाषचन्द्र तिवारी 2. का.वीरेश्वर दत्त मिश्र थाना चरखारी जनपद महोबा

द्वितीय टीम-

1.उ.नि.राजनारायण 2. का.चन्दन पांचाल थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.उदयभान पुत्र स्व0 बाबू पाल उम्र 35 वर्ष नि0मु0 धनुषधारी थाना चरखारी जनपद महोबा

2. कमलेश कुमार अहिरवार पुत्र राम स्वरुप उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम अकठौहां थाना चरखारी जनपद महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में थाना कुलपहाड़ के विभिन्न संवेदनशील स्थलों में फ्लैग मार्च/एरिया डोमिनेशन किया गया। क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के लिये किया गया जागरुक।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के साथ-साथ जनपद में पारदर्शी, निष्पक्ष और शातिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार सहिता का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराये जाने तथा अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम तथा क्षेत्र में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के नेतृत्व में थाना कुलपहाड़ पुलिस एवं केन्द्रीय पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न संवेदशील मोहल्लो/ग्रामों, वल्नरेबिल/क्रिटिकल ग्रामों/मतदेय स्थलों में संयुक्त रुप से फ्लैगमार्च कर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया ।

इस दौरान थानाक्षेत्र की जनता से संवाद स्थापित कर आगामी लोकसभा चुनाव के सम्बंध मे मा0 निर्वाचन आयोग के आदेशों-निर्देशों से अवगत कराया गया तथा क्षेत्र में भयमुक्त माहौल बनाते हुए लोकतंत्र के महापर्व में जनता से निर्भीक होकर निष्पक्ष मतदान करने की अपील की गई।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 29.03.2024

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव एवं शुक्रवार की नमाज के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस अधिकारी रहे भ्रमणशील, समुचित पुलिस प्रबन्ध करते हुये सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा...।

आज दिनांक 29.03.2024 को शुक्रवार/जुमे की नमाज तथा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर सभी मस्जिदों एवं जनपद के विभिन्न इन्ट्री प्वाइंट्स/सीमावर्ती बैरियर चेक प्वाइंट्स में पर चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में किया गया। जिसके तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्जिदों में जनपदीय पुलिस के उच्चाधिकारियों के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई, साथ ही जनपद के इन्ट्री प्वाइंट/सीमावर्ती बैरियर चेक प्वाइंट्स पर जनपदीय पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया जिससे जनपद में किसी भी असामाजिक व्यक्ति के प्रवेश को रोका जा सके।

समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ लगातार भ्रमणशील रहते हुए सर्व समुदाय के धर्मगुरुओं से वार्तालाप कर शांति व सद्भाव बनाए रखते हुये किसी भी सूचना पर तत्काल पुलिस प्रशासन को सूचना देने की अपील की गयी, पुलिस अधीक्षक महोबा अपर्णा गुप्ता द्वारा किये गये समुचित पुलिस प्रबन्ध, जनपदीय पुलिस की चुस्ती व मुस्तैदी से जनपद में अमन चैन के साथ जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराया गया।

जनपदीय मीडिया सेल टीम द्वारा भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट व वीडियो बयान जारी करने, साजिश रचने व माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है, महोबा पुलिस जनपद में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

मां0 जिला जज, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संयुक्त रुप से उपकारागार महोबा का निरीक्षण किया गया, दिये गये आवश्यक निर्देश-

दिनांक 28.03.2024 को मां0 जिला जज महोबा श्री जय प्रकाश यादव, जिलाधिकारी महोबा श्री मृदुल चौधरी व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा संयुक्त रुप से उपकारागार महोबा का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, निरीक्षण के दौरान बैरक,भोजनालय आदि का निरीक्षण किया गया।

इसी क्रम में कैदियों-बंदियों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली गयी, मेस में बन रहे भोजन के संबंध में संबंधित जानकारी लेते हुए भोजन की गुणवत्ता की जांच की गयी। जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुए इसके संचालन के संबंध में जेल अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। सीसीटीवी के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इसके अलावा पुरुष एवं महिला बैरक, अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया, जिसके क्रम में उन्होने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जेल परिसर और बैरकों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाये और नियमानुसार बंदियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें।

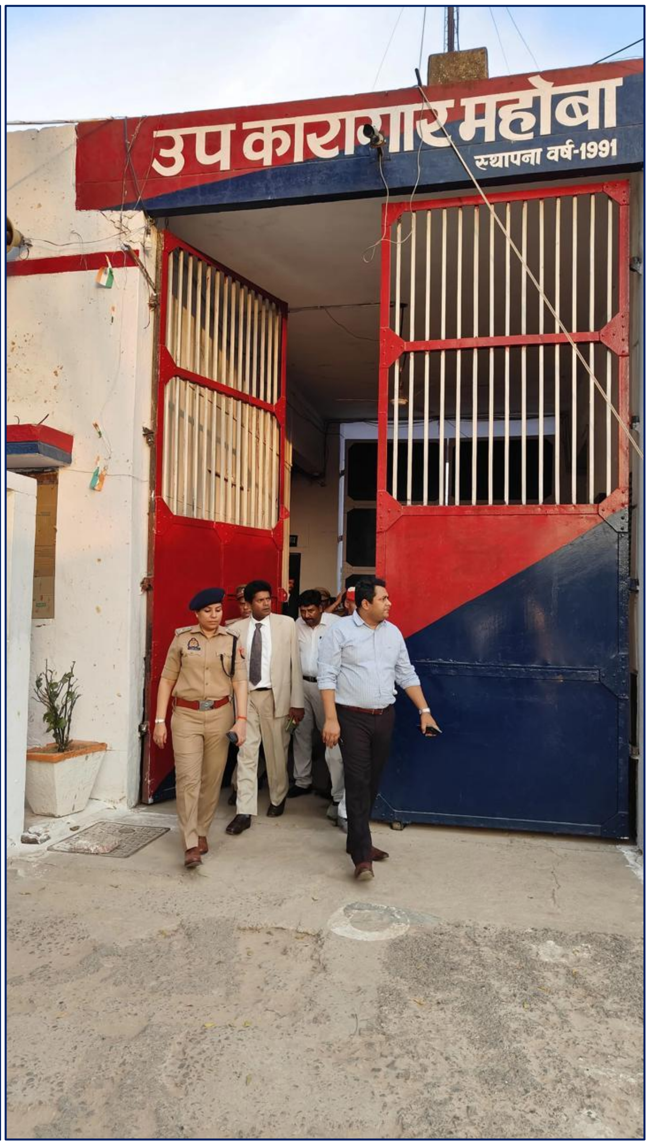

थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा तलाश वाँछित/वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान एक नफर वारण्टी अभियुक्त रोहित राजपूत पुत्र बाबूलाल राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बरातपहाड़ी थाना कोतवाली नगर जिला महोबा मय एक किता वारण्ट सम्बन्धित वारण्ट मु0नं0- 2058/20 अप0सं0- 259/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट सम्बन्धित माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट के आधार पर ग्राम बरातपहाड़ी से गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर वारंटी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

वारण्टी अभियुक्त रोहित राजपूत पुत्र बाबूलाल राजपूत उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बरातपहाड़ी थाना कोतवाली नगर महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी थाना कोतवाली नगर महोबा

थाना कोतवाली नगर महोबा की संयुक्त पुलिस टीम ने आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत 11 नफर अभियुक्त/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों के विरुद्ध शान्तिभंग के तहत की निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को शान्तिपूर्ण ढंग से निर्विवाद सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अपराधियों के विरुद्ध शांतिभंग के तहत की जा रही निरोधात्मक कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 29.03.2024 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री दीपक दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर द्वारा गठित की गई संयुक्त पुलिस टीम ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत थाना कोतवाली नगर महोबा क्षेत्र अन्तर्गत भिन्न–भिन्न स्थानों पर शांति व्यवस्था भंग करने वाले 11 नफर अभियुक्त/ हिस्ट्रीशीटरों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये नियमानुसार गिरफ्तार कर सम्बन्धित उपजिलामजिस्ट्रेट सदर महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया व गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को भारी मुचलके से पाबन्द कराया गया।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

1.उ0नि0 मनोज कुमार तिवारी
2.उ0नि0 बुद्धिसागर प्रभारी चौकी मनियादेव थाना कोतवाली नगर महोबा
3.उ0नि0 सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
4.उ0नि0 सुजीत कुमार जायसवाल प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
5.हे0कां0 मुन्नालाल यादव 6.कां0 दीपेश कुमार यादव

गिरफ्तार अभियुक्त विवरणः-

1.चरन पुत्र हरीदास लोधी उम्र 46 वर्ष नि0 ग्र0 पलका थाना कोतवाली नगर महोबा
2.आशाराम यादव पुत्र लक्ष्मी प्रसाद उम्र 40 वर्ष निवासी मुहल्ला टिकरीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
3.संतोष यादव पुत्र लक्ष्मन यादव उम्र 52 वर्ष
4.सुभाषचन्द्र राजपूत पुत्र रूप सिंह उम्र 55 वर्ष निवासीगण ग्राम छिकहरा थाना कोतवाली नगर महोबा
5.मनोज विश्वकर्मा पुत्र रामप्रसाद उम्र 26 वर्ष निवासी मुहल्ला रामनगर थाना कोतवाली नगर महोबा
6.नीरज पुत्र पप्पू उर्फ प्रेमनारायण उम्र 38 वर्ष निवासी मुहल्ला नैकानापुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
7.अतीक पुत्र बाबू मंसूरी उम्र 30 वर्ष निवासी मुहल्ला हमीरपुर चुंगी थाना कोतवाली नगर महोबा
8.साकिब खाँ पुत्र सईद खाँ उम्र 32 वर्ष निवासी मुहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
9.कालीचरन पुत्र रामप्रसाद उम्र 50 वर्ष निवासी मुहल्ला भटीपुरा थाना कोतवाली नगर महोबा
10. विकास राजपूत पुत्र रामेश्वर राजपूत उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बरातपहाड़ी थाना कोतवाली नगर महोबा
11.शिवम विश्वकर्मा पुत्र हरीशंकर विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी महतवाना थाना कोतवाली नगर महोबा

थाना कबरई की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 05 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में प्रस्तावित लोकसभा निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद महोबा में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के उद्धेश्य से जनपद में संचालित अवैध जुआ/सट्टा के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम आज दिनांक 29.03.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व श्री दीपक दुबे क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई द्वारा गठित टीम उ0नि0 श्री रामेन्द्र कुमार गौतम मय हमराह हे0कां0 शिवमहन्त मौर्या,कां0 अमित कुमार कुशवाहा के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ताश के पत्ते से हारजीत की बाजी लगा कर रुपये से जुआ खेल रहे अभियुक्तगण 1. दीप प्रकाश प्रजापति पुत्र छविलाल प्रजापति उम्र 30 वर्ष, 2. सलमान पुत्र बाबू उम्र 23 वर्ष , 3. शरीफ पुत्र पिट्टा उम्र 21 वर्ष, 4. इस्तहाक मोहम्मद पुत्र मुम्ताज उम्र 23 वर्ष व 5. भोला पुत्र बृजलाल प्रजापति उम्र 45 वर्ष समस्त नि0गण ग्राम धरौन थाना कबरई जनपद महोबा को आंगनबाड़ी केन्द्र के पास बहद ग्राम धरौन थाना कबरई जनपद महोबा को हिरासत में लिया गया। जिनके जामा तलाशी से 540 रुपये, माल फड 2710 रुपये व 52 अदद ताश पत्ते बरामद हुये। बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कबरई में मु0अ0सं0 86/24 धारा 13 जी एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री रामेन्द्र कुमार गौतम
2. हे0कां0 शिवमहन्त मौर्या
3. कां0 अमित कुमार कुशवाहा

गिफ्तारी का स्थानः-

आंगनबाड़ी केन्द्र के पास बहद ग्राम धरौन थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. दीप प्रकाश प्रजापति पुत्र छविलाल प्रजापति उम्र 30 वर्ष, 2. सलमान पुत्र बाबू उम्र 23 वर्ष , 3. शरीफ पुत्र पिट्टा उम्र 21 वर्ष, 4. इस्तहाक मोहम्मद पुत्र मुम्ताज उम्र 23 वर्ष 5. भोला पुत्र बृजलाल प्रजापति उम्र 45 वर्ष समस्त नि0गण ग्राम धरौन थाना कबरई जनपद महोबा।

बरामदगी-

माल फड़ - 2710 रुपये, जामा तलाशी के - 540 रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते